न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 07/2018

वादीगण :– बनाम प्रतिवादी :–

1. प्रकाश पुत्र रूपाराम
   जाति –जाट,निवासी–खराड़ी
   तहसील–जैतारण जिला–पाली

1. तहसीलदार जैतारण
   तहसील–जैतारण जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.08/01/2018**

उपस्थितः– 1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. सरकारी पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 27/03/2018**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खराडी पटवार हल्का डिगरना में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 537 रकबा 25 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 550 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 559 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 560 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 379 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1044/3 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 52 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1042 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1043 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 767 रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 379 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 400/1 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 907 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा की आई हुई है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 –2073 की नकल साथ पेश की जा रही है जिसे दावा का एक आवश्यक भाग माना जावें। यह है कि उक्त आराजी वादी की पैतृक पुश्तैनी है उक्त आराजी में वादी के पिता रूपाराम का देहान्त होने पर जरिये विरासत के म्यूटेशन संख्या 1319,1320,1321 के जरिए वादी व इनकी माता व बहने के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया लेकिन वादी प्रकाश के नाम के स्थान पर सेवन से ओमप्रकाश लिखा गया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। जो जरिए दुरूस्ती के ओमप्रकाश के स्थान पर प्रकाश दर्ज किया जावें। रूपाराम पुत्र बोदा के जायन्दा पुत्र एक प्रकाश ही है जो उक्त वाद में वादी है यानि ओमप्रकाश व प्रकाश एक ही व्यक्ति है एवं रूपाराम फौत होने पर जो फौतेदेगी म्यूटेशन भरा गया उस वक्त सेवन से प्रकाश के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज किया गया जो गलत है यानि ओमप्रकाश के स्थान पर वादी प्रकाश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर ओमप्रकाश के स्थान पर प्रकाश दर्ज किया जाना जरूरी है। इसके संबंध में वादी के माता के नाम का राशन कार्ड वादी का आधार कार्ड वादी का परिचय पत्र व वादी के स्कूल टी.सी. साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पेश किये जा रहे है। वादी काश्तकार व्यक्ति है अपनी उक्त आराजी भूमि पर किसान कार्ड बनाने के लिए बैक अधिकारी से सम्पूर्ण किया तब [illegible] का नाम राजस्व रेकर्ड ओमप्रकाश दर्ज है जो गलत है जबकि वादी का [illegible] प्रकाश ही है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम प्रकाश दर्ज नहीं हो [illegible] है तब तक वादी बैक से किसान क्रेडिट कार्ड व अन्य सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए जरिए दुरूस्ती के वादी का नाम ओमप्रकाश के स्थान पर प्रकाश दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी ने अपने नाम को दुरूस्त करवाने के लिए पटवारी जी व तहसीलदार जी को निवेदन किया तो पटवारी जी व प्रतिवादी ने कहा कि आप तो अपना नाम दुरूस्ती के लिए श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय,जैतारण के समक्ष

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.17 16:16:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वाद प्रस्तुत कर ही आपका नाम ओमप्रकाश के स्थान पर प्रकाश दर्ज करवा सकते हो इसलिए उक्त वाद श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का बिनाय दावा दिनांक 15.12.2017 करे पटवारी से राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त करने पर बमुकाम खराडी में उत्पन्न हुआ है वाद अन्दर मयाद व न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी जबाबदावा एवं मौका रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद-पत्र के साक्ष्य सबूत में राशन कार्ड संख्या 09035200636, पहचान पत्र संख्या JVL/1737253, एवं ग्राम पंचायत की वंशावली / प्रमाण पत्र की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादी का सही नाम प्रकाश ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से ओमप्रकाश दर्ज नाम के स्थान पर प्रकाश दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा खराडी पटवार हल्का डिगरना में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 537 रकबा 25 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 550 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 559 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 560 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 379 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1044/3 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 52 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1042 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1043 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 767 रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 379 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 400/1 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 907 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम ओमप्रकाश के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम प्रकाश दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 27/03/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.17 15:16:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner